भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

मार्च 2022

प्रतिरोध का स्वर

वर्ष 36
संख्या 3

मूल्य 5 रुपये

भाकपा (माले)–न्यू डेमोक्रेसी का वक्तव्य

यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले का विरोध करो !
नाटो समेत साम्राज्यवादी सैन्य गठबंधन भंग करो !
यूक्रेन से सभी भारतीयों की सुरक्षा तथा वापसी के लिए प्रभावी कदम उठाओ !

अफगानिस्तान से अमेरिका की हार के बाद से, साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच अंतर्विरोध तेज हो गए हैं और यूक्रेन इनका नवीनतम शिकार बन गया है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से विशेष रूप से यूरोप में सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्निर्धारण करने का साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा यह दूसरा प्रयास है। यूरोप में सुरक्षा ढ़ांचा बदलने का पहला प्रयास था जब तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी शक्तियों ने 'शीत युद्ध' में जीत की घोषणा की थी। यूरोप फिर से पुनर्निर्धारण के वर्तमान प्रयास के केंद्र में है।

रूस ने भूमि, वायु और समुद्री मार्गों से यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया है। रूसी वायु सेना ने सभी प्रमुख शहरी केंद्रों पर हमले शुरू कर दिए हैं और जमीनी बलों ने कई बिंदुओं पर उत्तर, पूर्व और दक्षिण से प्रवेश किया है।

यह युद्ध मौलिक रूप से प्रतिस्पर्धा में जुटी साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच तेज हो रहे टकराव का नतीजा है। अमेरिका और रूस इस युद्ध में अपने रुख के पक्ष में बहाने बता रहे हैं। लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में अमेरिका की सभी बातें फर्जी हैं। वर्तमान संकट की शुरुआत, 2014 में हुई जब यूक्रेन के निर्वाचित तत्कालीन राष्ट्रपति यनूकोविच को उखाड़ फेंकने का अमेरिका ने समर्थन किया था, बल्कि कहा जाए तो उसी ने ऐसा करवाया था। अमेरिका के प्रोत्साहन पर बल्कि निर्देश पर ही यूक्रेन ने, मिंस्क समझौतों को तोड़ दिया था जो यूक्रेन और उसके पूर्वी हिस्से के दो स्व–घोषित गणराज्यों के बीच हुए थे। हालांकि अमेरिका नाटो में शामिल होने के लिए 'लोगों की इच्छा' की बात करता हो, वो लतिन अमेरिका में लोगों की ऐसी किसी भी इच्छा के विरुद्ध है। लगातार ही अमेरिकी प्रशासन का उद्देश्य नाटो को रूस के करीब विस्तारित करना रहा है। अमेरिकी प्रशासन विशेष रूप से उसके सैन्य औद्योगिक ढ़ांचे ने इराक और सीरिया में अपनी असफलता और अफगानिस्तान में पूरी तरह से हार से कोई सबक लेने से इंकार कर दिया है। वह युद्ध भड़काने पर आमादा है। बिडेन प्रशासन ने कई स्थानों पर युद्ध भड़काने की रणनीति को आगे बढ़ाना जारी रखा है जो एकध्रुवीय दुनिया के चरम पर तैयार की गयी थी। अमेरिकी साम्राज्यवाद बहुध्रुवीय दुनिया को स्वीकार नहीं कर पा रहा है।

रूसी शासकों ने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, जो वारसा संधि और सोवियत संघ के विघटन के बाद से व्यवस्थित ढंग से काफी कम हो गया है, अमेरिका और उसके नेतृत्व में संचालित नाटो का सामना करने का रास्ता चुना है। 'निजी' पूंजीवाद के संक्रमण में, यानी राज्य की संपत्ति की लूट में संलिप्त रुसी शासक, एक ओर अमेरिकी सम्राज्यवादी खेमे के करीब गये जैसा कि उनकी जरूरत थी और दूसरी ओर उन्होने अपने प्रभाव क्षेत्र के सिकुड़ने और अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र के विस्तार को देखा। अमेरिका के इराक और अफगानिस्तान में फंसने के साथ, और रूस पर अपने खुद का नियंत्रण मजबूत करने की स्थिति में रूस का शासक अभिजात वर्ग अपने प्रभाव को वापस लेने के प्रयास में है। पहले ये क्षेत्रवार सीमित उद्देश्यों के साथ आगे बढ़े, उदाहरण के तौर पर 2008 में जार्जिया में और 2014 में क्रीमिया में। अफगानिस्तान में अमेरिका की हार के बाद अब वह पूरे क्षेत्र से अमेरिकी प्रभाव को हटाने के प्रयास में हैं। जैसा कि कजाखस्तान की घटनाओं ने दिखाया, रूस विशाल यूरेशिया में 'जेंडार्म' के रूप में फिर से उभर रहा है।

यूक्रेन के शासक अभिजात वर्ग, पूंजीवादी कुलीन वर्ग, रूस की ही भांति राज्य की संपत्ति की लूट द्वारा उभरे हैं और रूस के प्रति अपने रवैये पर विभाजित हैं। इस शासक अभिजात वर्ग के बीच रूस के साथ भाषाई और सांस्कृतिक संबंधों के अलावा उस पर निरंतर निर्भरता के आधार पर संघर्ष था, और अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए तथा रूसी प्रभाव को सीमित करने के लिए उन्हें अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के करीब जाने की आवश्यकता थी। यूक्रेन की जनता के हितों को पूरा करने के बजाय, उन्होंने बड़ी शक्तियों के साथ तालमेल बिठाया, यह उम्मीद करते हुए कि दोनों के बीच संतुलन उन्हें सत्ता और संपत्ति में बनाए रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हो रहे बदलाव में मौजूदा संतुलन गड़बड़ा गया है। यूक्रेन के शासकों की प्रकृति का एक प्रमाण साकाशविली है जिसे जार्जिया में सत्ता से बाहर कर दिया गया और यूक्रेन में मंत्री बना दिया गया। कुलीन राजनेताओं से तंग आकर, यूक्रेनी जनता ने एक हास्य अभिनेता को अपना राष्ट्रपति चुना लेकिन यह काल बहुत क्रूर है।

यूक्रेन पर इस चौतरफा हमले से रूस ने साबित कर दिया है कि डोनबास के लोगों की रक्षा करने की उसकी बात यूक्रेन को नियंत्रित करने के उनके व्यापक उद्देश्य के लिए सिर्फ एक कदम था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन, जो पहले 'पूर्वी यूक्रेन में नरसंहार को रोकने' की बात कर रहे थे, ने अब यूक्रेन का 'विसैन्यीकरण' और 'वि–नाज़ीकरण' करने के लिए एक 'विशेष सैन्य अभियान' शुरू किया है, जिसका अर्थ है यूक्रेन को नियंत्रित करना। यह वास्तव में सत्ता परिवर्तन की मुहिम है, यह शब्द साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच लोकप्रिय है।

बिडेन प्रशासन के मुख्य उद्देश्यों में से एक, संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी यूरोप पर नियंत्रण फिर से स्थापित करना है जहां फ्रांस और जर्मनी ने एक स्वतंत्र दिशा लेनी शुरू कर दी थी, ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद और भी ज्यादा। बिडेन का नारा 'यूएस इज बैक' (अमेरिका लौट आया है) उसी पर लक्षित है, और नार्ड स्ट्रीम 2 को रद्द करना इसका केंद्र बिंदु रहा है। दरअसल, रूसी तेल और गैस कंपनियां पश्चिम की बड़ी तेल कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। बिडेन प्रशासन ने शुरू से ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वह संघर्ष की स्थिति में किसी भी लड़ाकू सैनिक, यहां तक कि 'प्रशिक्षकों' को भी यूक्रेन में नहीं भेजने जा रहा है और यूक्रेन से उसने अपने सभी सशस्त्र लोगों को वापस बुला लिया है।

यूक्रेन के शासकों ने अपने देश को साम्राज्यवादी शक्तियों के तीव्र अंतर्विरोधों का शिकार होने दिया है। अमेरिका पश्चिमी यूरोप में अपनी स्थिति को मजबूत करने और दुनिया भर में समर्थन जुटाने के लिए यूक्रेन का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, जबकि रूस यूक्रेन या कम से कम इसके एक बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाह रहा है। यह इसके द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों को पड़ोसी मोल्दोवा के क्षेत्र से जोड़ता है जो रूस के पक्ष में है। रूस पूर्वी यूरोप के अन्य देशों को डराने–धमकाने पर भी निर्भर है।

जबकि बाइडेन और पुतिन दोनों की ही घरेलू मजबूरियां हैं कि लोगों का ध्यान उनकी बिगड़ती परिस्थितियों से भटकाएं, वर्तमान विवाद का वास्तविक आधार विश्व संसाधनों, प्रभाव के क्षेत्रों और बाजारों के अधिक हिस्से के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच बढ़ती हाथापाई में निहित है।

यूक्रेन के लोग ही इस सब के असली भुक्तभोगी हैं। यूक्रेन लंबे समय से साम्राज्यवादी ताकतों के बीच विवाद का विषय रहा है, लेकिन इसके शासकों ने इसका बुरा हाल किया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उसे अमेरिका की यूरोपीय नीति का एक उपकरण बनने दिया है और अपने आप को 'यूक्रेनी राष्ट्रवादियों' पर पूरी तरह से निर्भर बना लिया है। शांति के लिए प्रयास करने के अपने चुनावी वायदे के खिलाफ, उन्होंने डोनबास क्षेत्र के लोगों पर हमले तेज कर दिए,

(शेष पृष्ठ 7 पर)

जमीन हदबंदी कानून को लागू करने की मांग पर जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी द्वारा भवानीगढ़ जिला संगरूर पंजाब में 10 फरवरी को की गई रैली और सभा

रिपोर्ट : अंतर्राष्ट्रीय कामगार महिला दिवस 8 मार्च

कारपोरेट परस्त महिला विरोधी नीतियों ,नफरत और असमानता की राजनीति अस्वीकार करो!

संघर्ष से जीते गए अधिकारों की रक्षा के लिए सामने आओ!

इस आह्वान के साथ देश के विभिन्न भागों में कार्यक्रम किए गए जिसमें विभिन्न तबकों की महिलाओं ने जोश पूर्वक भागीदारी की। महिलाओं ने पितृसत्ता, मनुवाद, अपनी आजादी, अधिकारों पर चोट इत्यादि के खिलाफ अपने नारों से सभा स्थलों को गुंजायमान किया। जीवन, जीविका, शिक्षा और रोजगार पर फासीवादी मुहिम द्वारा किए जा रहें हमलों के खिलाफ अपने व्यापक, जुझारू संघर्षों को बुलंद करने का ऐलान किया। करपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ लड़ रहे दूसरे तबकों के संघर्षों के साथ एकजुटता व्यक्त की।

जंतर मंतर (दिल्ली) में संयुक्त प्रदर्शन

आंध्र प्रदेश प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वूमेन (पी .ओ. डब्ल्यू.) द्वारा विशाखापट्टनम में उपरोक्त सवालों पर रैली और सभा की गई जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। संगठन की महासचिव कॉमरेड लक्ष्मी सहित अन्य नेताओं ने सभा को संबोधित किया। विजयवाड़ा में संगठन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने झंडों से सुसज्जित रैली निकाली और सभा की।

तेलंगाना में प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विमेन (पी.ओ.डब्ल्यू) द्वारा 6 मार्च को खम्मम में मार्च तथा सभा की गई जिसमे महिलाओ की विशाल भागीदारी थी। सभा को संगठन की प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड झांसी ने संबोधित किया ।

निजामाबाद जिले में इस अवसर पर 8 मार्च को एक सभा की गई।

एलेन्दु में पी .ओ. डब्ल्यू. के नेतृत्व में निकाली गई रैली में भारी संख्या में ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं ने भागीदारी की। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठियों और सभाओं में मोदी सरकार की कॉरपोरेट परस्त नीतियों के चलते ग्रामीण आदिवासी दलित महिलाओं के जीवन पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ आवाज बुलंद की गई।

पंजाब स्त्री जागृति मंच (आई.जे.एम) ने विभिन्न जिलों में कार्यक्रम लिए। मेहतपुर, सेखा रोड गांव रामदास नगर बरनाला, नवांशहर में हुई सभाओं में ग्रामीण महिला मजदूरों कि सवालों के साथ–साथ महिलाओं की आजादी पर किए जा रहे हमलों, मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा को हिजाब के नाम पर रोक देने की साजिशों को नाकाम करने का आह्वान किया गया। इस दौरान की गई सभाओं को मंच के राज्य और जिला स्तरीय विभिन्न नेताओं ने संबोधित किया जिनमे चरणजीत कौर, गुरबक्श संघा,

(शेष पृष्ठ 3 पर)

खम्मम (तेलंगाना)

विशाखपटनम (आंध्र प्रदेश)

बरनाला (पंजाब)

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)

रायगड्डा (ओडिशा)

8 मार्च 2022

नफरत और असमानता की राजनीति अस्वीकार है!
संघर्षों से जीते हुए अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आएं!
कारपोरेट पक्षधर महिला विरोधी नीतियां अस्वीकार हैं!

पूरे भारत की प्रिय बहनों,

पितृसत्ता के खिलाफ और अधिकारों एवं न्याय के लिए संघर्ष कर रहे आप सभी को और दुनिया की महिलाओं को इस संघर्ष दिवस पर हमारी शुभकामनाएं।

यह 8 मार्च ऐसे समय में आया है जब दुनिया की बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता के परिणामस्वरूप रूस के हमले के कारण यूक्रेन पर एक खुला युद्ध हुआ है। दुनिया में कहीं और भी, इन शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे और बड़े संघर्ष चल रहे हो। इसका खामियाजा आम लोगों को, खासकर कामकाजी महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है।

हमारे देश में केंद्र सरकार इन साम्राज्यवादी शक्तियों के हितों को, इनकी लूट को आगे बढ़ाने और लोगों के खिलाफ नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। महिलाएं इन नए और कई महिला विरोधी, जनविरोधी हमलों से जूझ रही हैं। यह तब भी है जब पूरे देश में महिलाएं महामारी की अवधि के बाद अपने जीवन को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने जीवन, बचत व नौकरियों की क्षति और परिवारों के साथ घरेलू हिंसा, भूख सहित, बढ़ते हुए बोझ का सामना किया है; ये सब महामारी से निपटने के नाम पर शासकों की नीतियों के कारण हुआ है।

अब यह अच्छी तरह से प्रलेखित है, कि आर्थिक सुधार की तमाम बातों के बावजूद, लॉकडाउन के कारण रोजगार गंवाने वाली हजारों महिलाओं के एक बड़े हिस्से को अभी तक काम वापस नहीं मिला है और सामान हालात वाले पुरुषों की तुलना में इनका हिस्सा बहुत कम है। विडंबना यह है कि जो विशाल कार्यबल महामारी से लड़ने की अग्रिम पंक्ति के सेनानियों के रूप में खड़ा था, उनमें महिलाओं का प्रतिशत अधिक था! आखिरकार, सभी आंगनवाड़ी और आशाकर्मी महिलाएं हैं और नर्सों का एक बड़ा हिस्सा एवं डॉक्टरों व स्वच्छता कार्यकर्ताओं का एक अच्छा खासा प्रतिशत महिलाएं हैं।

जिस तरह से महामारी का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण नौकरियों का नुकसान हुआ था, अब केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 4 लेबर कोड द्वारा किए जा रहे हमले के असर को भी महिला श्रमिक सहन करेंगी। ये लेबर कोड श्रम कानून प्रवर्तन तंत्र को छीन लेंगे, 12 घंटे के कार्य दिवस को आम बना देंगे, कार्यबल को और अधिक अनौपचारिक बना देंगे, विरोध का अधिकार छीन लेंगे और यूनियनों के गठन को बहुत कठिन बना देंगे – ये सभी पुरुष समकक्षों की तुलना में महिला श्रमिकों को और अधिक प्रभावित करेंगे।

इस सरकार द्वारा महामारी की अवधि का उपयोग एक नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। पहले से ही दो साल के बंद स्कूल और कॉलेज और ऑनलाइन शिक्षा ने बड़ी संख्या में छात्राओं को शिक्षा प्रणाली से बाहर कर दिया है। अब, नई नीति ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देती है, यह व्यापक दायरे में फीस वृद्धि अमल कराएगी, वास्तव में सरकार द्वारा वित्त पोषित शिक्षा को कमजोर करती है, और कुल मिलाकर महिलाओं की मुश्किलों को बढ़ाती है। स्कूलों के विलय का मतलब, घर से दूर स्कूलों में जाना पड़ेगा, जो फिर से लड़कियों की शिक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यह इस सरकार के मनुवादी पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के नारों से महिलाओं को भ्रमित कर रही है।

आरएसएस द्वारा हाल ही में यह निर्धारित करना कि महिलाओं को क्या कपड़े पहनने चाहिए और अगर वे शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें क्या नहीं पहनना चाहिए, सरकार के इस नारे की सच्चाई को और उजागर करता है। लड़कियों को पैंट और जींस पहनने से रोकने के लिए बार–बार प्रयास किए जा रहे हैं। जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और जहां पहले ऐसा कोई निषेध नहीं था, तो वहां हिजाब पहनने के खिलाफ हाल ही में हुए हंगामे की गणना मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से बाहर करने और अल्पसंख्यक कट्टरपंथी ताकतों के चंगुल में डालने के लिए की गयी है। मुस्लिम बुद्धिजीवी महिलाओं को बुल्ली बाई, सुल्ली आदि जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से विशेष तौर पर नफरत का निशाना बनाया गया है। इनका मकसद लोगों के प्रति नफरत फैलाना है और उन्हें 'दूसरा' बताना है।

इसी तरह मनुवादी विवाह संहिता थोपी जा रही है; अंतर्जातीय विवाह के लिए महिलाओं और यहां तक कि पुरुषों को भी बेरहमी से मार डाला जा रहा है; हिंदू लड़कियों द्वारा सभी अंतर्धार्मिक विवाहों को जबरन धर्मांतरण के रूप में चित्रित करके और गुंडों और पुलिस द्वारा ऐसे जोड़ों पर शारीरिक हमला करके, उनकी पसंद को जबरन नियंत्रित किया जा रहा है। हाथरस की घटना इस बात का प्रतीक है कि कैसे भाजपा–आरएसएस सरकार की पुलिस और प्रशासन दलित लड़कियों और महिलाओं पर यौन हिंसा करने वाली उच्च जातियों को उकसाती है। राजधानी में एक विवाहित महिला द्वारा यौन उत्पीड़न का विरोध करने के लिए उसका सामूहिक बलात्कार और सार्वजनिक रूप से उसे घुमाया जाना और उस घटना में केंद्र सरकार के अधीन पुलिस का सुविधापूर्वक ढंग से गायब रहना, दिखाता है कि भीड़ तंत्र की कार्रवाई द्वारा कैसे पितृसत्तात्मक नियम लागू किए जा रहे हैं।

सभी सामानों की भारी कीमत वृद्धि के कारण महिलाओं के लिए परिवार की रसोई चलाना कठिन हो गया है और महिलाओं और लड़कियों के पोषण को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। राशन पर हमला हो रहा है; बहुत कम तबके राशन प्राप्त कर पा रहे हैं और दी जाने वाली वस्तुओं में कटौती की जा रही है; कुछ राज्यों में केवल अनाज दिया जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण किया जा रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा भूमि और खनिज संसाधनों को बड़ी कंपनियों, मुख्य रूप से विदेशियों को सौंपने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। सभी सार्वजनिक उपक्रमों को बेचा या उनका निजीकरण किया जा रहा है, जबकि बेटियों के साथ–साथ उन परिवारों के बेटे जिनकी जमीन छीन ली गई थी, अभी भी प्रतिपूरक रोजगार के लिए कतार में खड़े हैं। देश के कई हिस्सों में केंद्र और राज्य सरकारें जबरन विस्थापन कर रही हैं। महिलाएं न केवल अपने घरों, बल्कि अपनी आजीविका, परम्पराओं और आवास की रक्षा के लिए अपने परिवार के साथ लड़ रही हो। आदिवासी महिलाओं के लिए, इस तरह के विस्थापन से उनकी पहचान ही छीन ली जाती है। कई हिस्सों में पोडु भूमि से विस्थापित कर आदिवासी महिलाओं के भूमि अधिकारों पर हमले हो रहे हैं। जैसे–जैसे लोग रोजगार की तलाश में अपने गांवों से बाहर निकलते हैं, उन्हें, विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं को निर्माण स्थलों पर ठेकेदारों द्वारा बंधुआ मजदूरी के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

विरोध करने के अधिकार को जब्त किया जा रहा है। असंतोष की किसी भी अभिव्यक्ति को दबाने के लिए महिलाओं पर यूएपीए, राजद्रोह कानूनों, यहां तक कि महामारी अधिनियम के तहत मामले दर्ज किये गये हैं।

आइए, इस 8 मार्च को हम अपने अधिकारों, अपने जीवन, अपनी आजीविका की रक्षा के लिए संघर्ष करें। आइए, हम उन बहादुर किसान महिलाओं और पुरुषों से प्रेरणा लें जिन्होंने कारपोरेट समर्थक तीन कृषि कानूनों का विरोध किया। आइए, हम नफरत की नीतियों से लड़ें। आइए, पसंद के अधिकार पर जोर दें। आइए, हम बड़े संयुक्त संघर्षों के माध्यम से कारपोरेट समर्थक नीतियों, जो जनविरोधी और महिला विरोधी हैं, को पीछे ढकेलें।

इस 8 मार्च को,

आइए, हम सब मिलकर पितृसत्ता, नफरत के खिलाफ लड़ें!

जैसे कि कवियों ने गीत गाए हैं, आइए हम अपने पल्लू को, अपने हिजाब को, अपने दुपट्टे को, जो सभी हमारी पहचान के प्रतीक भी हो और जिन्हें लेकर हमें नुस्खे दिये जा रहे हैं – को अपने देश की बिक्री के खिलाफ संघर्ष के बैनर में बदल दें।

हम पूरे भारत की महिलाओं से यूक्रेन की आम महिलाओं के साथ एकजुटता से खड़े होने का आह्वान करते हो।

महिलाएं शांति की मांग उठा रही हैं। हम दुनिया भर में महिलाओं के साथ मिलकर रूसी और अमेरिकी साम्राज्यवाद, दोनों द्वारा दुनिया के लोगों के खिलाफ चलायी जा रही साजिशों की निंदा करते हैं और मांग करते हो कि रूस तुरंत हमला बंद कर दे।

(यह प्रोग्रेसिव आरगेनाइजेशन ऑफ वीमेन (पीओडब्ल्यू) की तेलंगाना व आंध्र प्रदेश कमेटियों, प्रगतिशील महिला संगठन (पीएमएस) दिल्ली तथा स्त्री जागृति मंच (आईजेएम) पंजाब द्वारा जारी संयुक्त आवाह्न है।)

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश भर में महिलाओं द्वारा कार्यक्रम

(पृष्ठ 2 का शेष)

अमनदीप कौर, अनीता संधू आदि शामिल थे।

ओडिशा रायगड्डा जिले के अमरपुर ब्लॉक और गणपति जिले के काशीनगर ब्लॉक में ग्रामीण महिलाओं ने प्रगतिशील महिला संगठन के नेतृत्व में कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित किया।

प्रयागराज : प्रगातिशील महिला संगठन ने घूरपुर में महिलाओं की रैली निकाली और सभा को आयोजित किया। जिसे संगठन की नेता आकृति सहित विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया।

दिल्ली में प्रगतिशील महिला संगठन ने एडवा, एनएफआई डब्लू ,स्वास्तिक महिला समिति , सी एस डब्ल्यू सहित कई अन्य संगठनों के साथ जंतर मंतर पर संयुक्त कार्यक्रम किया। महिलाओं की आजादी पर हमले बंद करो, फासीवाद मुर्दाबाद, पितृसत्ता मुर्दाबाद, मनुवाद का नाश करेंगे, 4 लेबर कोड महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता खत्म करते हैं इत्यादि की तख्तियां लेकर नारे लगाकर संगठन के साथियों ने कार्यक्रम में जोश पूर्वक हिस्सेदारी की। कार्यक्रम को महासचिव पूनम कौशिक में संबोधित किया।

इस बार 8 मार्च ऐसे समय पर आया है जब साम्राज्यवादी रूस ने युक्रेन पर हमला किया है। युद्ध की विभीषिका में बच्चे व महिलाएं विशेष हिंसा का शिकार होते है । अतः देश भर में हुए उपरोक्त सभी कार्यक्रमों में एक स्वर में जंग का विरोध किया गया और मांग की गई कि रूस यूक्रेन पर हमला अविलंब बंद करे, नाटो सहित सभी साम्राज्यवादी सैन्य गठबंधन भंग किए जाएं तथा यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों जिनमें मुख्यतः विद्यार्थी हैं, को अविलम्ब सुरक्षित बाहर निकाला जाएं। दुनिया भर में महिला दिवस कार्यक्रमों में युद्ध विरोध प्रमुख रहा।

कजाखस्तान : जनता के विक्षोभ को दूसरे अंतर्विरोध

कजाखस्तान में नए साल का आगाज जबरदस्त उथल–पुथल, जनआंदोलनों के साथ हुआ। बेलगाम मंहगाई, पेट्रोल और ऑटोगैस (LNG) के दाम में दो गुना बढ़ोतरी, निजीकरण, बेरोजगारी, गरीबी और असमानता के विरोध में जनता सड़कों पर उतर आई। पश्चिम कजाखस्तान के झनाओजेन शहर में 2 जनवरी से प्रारम्भ प्रर्दशनों का सिलसिला न केवल पश्चिम के अन्य शहरों बल्कि मुख्य आर्थिक केन्द्र अलमाती (पूर्व राजधानी) समेत पूरे देश में फैल गया। इसने 4 जनवरी से उग्र रूप अख्तियार कर लिया। पुलिस के साथ झड़पें, व्यापक आगजनी, लूट, पुलिस थानों व सरकारी इमारतों पर कब्जे के साथ 5 जनवरी तक यह सीधे टकराव में बदल चुका था। लाखों लोग इन प्रदर्शनों में शरीक थे। देश के कई हिस्सों में पुलिस ने फायरिंग की। राष्ट्रपति कासिम–जोमार्ट टोकायेव ने इसे तख्तापलट की साजिश, विदेशी हाथ तथा आतंकवाद से जोड़ते हुए देश में दो सप्ताह के लिए आपातकाल घोषित कर दिया। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। रूस से अनुरोध करके सामुहिक सुरक्षा संधि संगठन (CSTO– वार्सा संधि की तरह सैन्य गठबंधन है जिसमे रूस समेत छह देश कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान हैं।) के तहत 3 हजार सैनिक (शांति मिशन) बुलाए गए। कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा। मारे गए 250 से अधिक लोगों में लगभग 20 पुलिस अधिकारी और शेष नागरिक थे। घायलों की तदाद 3500 से ज्यादा, दस हजार से अधिक लोग गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। 8 जनवरी से हालात काबू में आने के दावे के साथ इंटरनेट सेवाएं धीरे–धीरे बहाल हुईं। सरकार ने 10 जनवरी को शांति बहाली का ऐलान किया। गैस (LNG) के दामों में बढ़ोतरी वापस ले ली गई तथा कम से कम एक साल तक दाम नहीं बढ़ाने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान कजाखस्तान के शासकों के अंतर्विरोध और विशाल यूरेशिया में विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच तेज प्रतिद्वंद्वता उभर कर सामने आई है। शासकों में राष्ट्रपति टोकायेव की और अमेरिका के मुकाबले रूस की स्थिति मजबूत हुई है।

साम्राज्यवादियों की गिद्ध दृष्टि

कजाखस्तान मध्य एशिया का सबसे बड़ा (27.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जबकि भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलो मीटर है) लेकिन कुल आबादी 1.88 करोड़ (2020 के अनुसार) है। पर्याप्त कृषि योग्य भूमि, प्रचुर खनिज भंडार, कोयला (जीवाश्म ईधन) खाने हैं। विदेशी निवेशकों के लिए यहां विशेष आकर्षण पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज हैं। कुल औद्योगिक उत्पादन का आधा (57 प्रतिशत) इन ही क्षेत्रों में है। कजाखस्तान के भू गर्भ में खनिजों में यूरेनियम, क्रोमियम, सीसा और जस्ता (विश्व में दूसरा), मैंगनीज (विश्व में तीसरा), ताम्बा, फास्फोरस, कोयला और लोहे का विशाल भंडार है। अमेरिका और चीन की कंपनियों ने यहां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (LNG) तथा खनिज खनन में बड़ी मात्रा में निवेश किया है। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना (BRI) में कजाखस्तान का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन (GDP) तकरीबन 10 हजार अमेरिकी डॉलर है। शहरी आबादी अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 5.32 प्रतिशत, उद्योगों का 33.5 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 55. 75 प्रतिशत है। देश की कुल 88 लाख श्रमशक्ति में लगभग 27 प्रतिशत उद्योग में, 23 प्रतिशत कृषि में और शेष सेवा क्षेत्र– शिक्षा, प्रशासनिक व सुरक्षा सेवा जिनमें प्रमुख है, में कार्यरत हैं। कजाख (जो कि मूलतया तुर्क हैं) ज्यादातर गांवों में बसे हैं और खेती–बाड़ी व उससे जुड़े व्यवसायों से संबद्ध हैं। अन्य राष्ट्रीयताओं से संबंद्ध लोग मुख्य रूप से शहरों में बसे हुए हैं। बेरोजगारी की समस्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है। ज्यादातर श्रमिक संगठन सरकार द्वारा नियंत्रित हैं। वे ट्रेड यूनियनें जो सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं उनकी शक्ति सीमित है। श्रमिक संघों के पंजीकरण की प्रक्रिया काफी कठिन है और इसमें काफी समय लगता है। कजाखस्तान में बड़े पैमाने पर निजीकरण के साथ वहां क्रोनी कुलीन वर्ग, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। बेरोजगारी काफी तेजी से बढ़ी है (अधिकारिक तौर पर बेरोजगारी 4.9 प्रतिशत बताई गई है, जबकि हकीकत में यह काफी अधिक है)।

पूंजीवाद की पुनर्स्थापना

कजाखस्तान की आबादी में दो तिहाई (लगभग 70 प्रतिशत) कजाख तथा एक चौथाई रूसी हैं। रूस से लगे इसके उत्तरी क्षेत्रों में अन्य राष्ट्रीयताओं की तुलना में रूसी अधिक हैं। यहां रूसी और अन्य स्लाव समूहों का बसना जार काल में हुआ। इसके बाद, 1956 के आस–पास "खुश्चेव परियोजना" के तहत भी यहां की परती भूमि पर बड़ी तादाद में रूसियों को बसाया गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूसियों के यहां से जाने और कजाख के आने से जनसांख्यिकी में और बदलाव हुआ। कजाखस्तान जार काल में रूस, फिर सोवियत समाजवादी गणराज्य (USSR) का हिस्सा रहा है। वर्तमान कजाखस्तान 1936 में गठित सोवियत समाजवादी गणराज्य (KSSR) था। अन्य मध्य एशियाई देशों की तुलना में यहां की अर्थव्यवस्था स्थिर और लोगों का जीवन स्तर बेहतर रहा है।

कामरेड स्तालिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ में सत्ता पर काबिज हुए नौकरशाह पूंजीपति वर्ग ने सोवियत संघ में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना का रास्ता अपनाया। सोवियत संघ के विघटन के दौर में कजाखस्तान में भी नौकरशाह नेताओं ने राज्य की संपत्तियों को जब्त करके निजी संपत्तियों में परिवर्तित कर लिया। इस क्रम में यहां कुलीन वर्गों का उदय हुआ। इनमें से ज्यादातर पुराने पार्टी तंत्र, उनके रिश्तेदारों या उनके परिचितों से संबंधित हैं। कजाखस्तान में समाजवादी निर्माण के दौरान वहां हुए विकास को इन नवोदित कुलीनों ने लूट–हड़प लिया। रूस में येल्तसिन शासन के दौर में, कजाखस्तान की सत्ता पर काबिज नूरसुल्तान नजरबायेव ने लगभग तीन दशकों तक शासन किया है। उसके परिजनों के पास पश्चिमी देशों में अकूत संपत्ति है। इसी गुट से जुड़े मौजूदा राष्ट्रपति टोकायेव सहित अन्य स्वयंभू नेता हैं। नजरबायेव ने टोकायेव को कजाखस्तान की सत्ता आंशिक रूप से हस्तांतरित की थी। 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' का अध्यक्ष पद नजरबायेव ने अपने ही पास रखा था। इस प्रकार सुरक्षा बल उसके ही नियंत्रण में थे।

जन प्रतिरोध

कजाखस्तान के कुलीन वर्ग अपार संपत्ति का मालिक हैं, जबकि आम जनता के हालात बदतर होते जा रहे हैं। लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण जीवन दूभर है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ शहर व उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में अशांति बढ़ रही है। बेरोजगार युवक बेहद उद्विग्न हैं। संसाधनों से भरपूर तथा उच्च तकनीक विकास वाले इस देश में बदहाल आम जनता 2011 और 2016 में भी बड़े उथल–पुथल से गुजर चुकी है। 2011 में औद्योगिक मजदूरों की जबरदस्त हड़ताल हुई थी जिसे कुचलने के लिए झानाओजेन में तेल उद्योग के निहत्थे मजदूरों पर सुरक्षा बलों ने गोलिया बरसायी थीं। इसके बाद 2016 में एक भूमि कानून के जरिए कारपोरेट कंपनियों को 25 साल के लिए पट्टे पर भूमि आवंटित करने के विरोध में जनता उमड़ी। इसी कड़ी में वर्तमान जन विक्षोभ पेट्रोल और ऑटोगैस (LNG) के दाम में 60 टेनेज से 120 टेनेज (लगभग 30 रुपये) प्रति लीटर दो गुना वृद्धि के विरोध में हुआ। गौरतलब है, अधिकांश वाहनों में एलएनजी का उपयोग किया जाता है और पश्चिम कजाखस्तान में लगभग 90 प्रतिशत कारों में। कहा गया अब कीमत बाजार नियंत्रित करता है। लेकिन पेट्रोलियम और ऑटोगैस सरकार के नियंत्रण में है। सब्सिडी में कटौती का लाजिमी नतीजा था दामों में यह बढ़ोतरी। पश्चिम और उत्तरी कजाखस्तान में हजारों की तादाद में लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए।

शहरों में प्रदर्शनों में थे मजदूर और नौजवान, वंचित समाज के वे लोग, जो महानगर के बाहरी इलाके और आसपास के गांवों से शहर में आए थे। इन्हीं ने पुलिस और फौजियों की गोलियां अपने सीनों पर झेली, मोर्चा लिया, पथराव कर जवाब भी दिया। जन प्रतिरोध के कारण पुलिस को कई स्थानों पर पीछे हटना पड़ा। असंगठित समूहों द्वारा दुकानों को लूटा गया और कुछ स्थानों पर आपराधिक तत्वों ने भी फायदा उठाया। ऐसी परिस्थितियों में इसमें असामान्य कुछ नहीं है। संघर्ष अलमाती और अन्य शहरों में अधिक सघन थे। प्रदर्शनकारियों के साथ विपक्षी दल भी जुड़े। कजाखस्तान में सीमित लोकतांत्रिक अधिकार ही उपलब्ध हैं। इस वजह से विपक्षी दल अधिक सशक्त व संगठित नहीं हैं। महंगाई, तेल व ऑटोगैस के दामों में वृद्धि के साथ राजनीतिक मांगें भी मुखर हुईं। इनमें राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई, राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के इस्तीफे के साथ नजरबायेव के सभी सरकारी पदों से इस्तीफे, नई अंतरिम सरकार का गठन तथा रूस के साथ की गठबंधन संधियों को खत्म करने की भी मांग थी। विरोध प्रदर्शनों में इस्लामिक तत्वों की भागीदारी के बाद 5 जनवरी से सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। उनका मुख्य गढ़ उत्तर कजाखस्तान का शहर अकतोबे है, दक्षिण के अन्य शहरों तथा अलमाती में भी तीन दिनों तक हुई लूट व आगजनी में मुख्य किरदार यही थे। हालांकि प्रदर्शनकारियों की मुख्य शक्ति मजदूर व वंचित समुदायों से संबंधित नौजवान थे। मजदूरों व आम जन की भागीदारी संघर्ष का असली चरित्र बताती है। तेलसमृद्ध मानसीस्टू क्षेत्र में तेल उद्योगों और बिजली संयंत्रों से संबंधित औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों द्वारा 10 जनवरी के बाद भी लगातार प्रदर्शन इसका सबूत हैं। आपराधिक तत्वों की घुसपैठ के तार अभिजात शासक वर्ग से जुड़े हैं, जिनका इस्तेमाल वे सत्ता के लिए संघर्ष के लिए कर रहे हैं।

शासक वर्ग का आंतरिक संघर्ष

कजाखस्तान के विदेश मंत्रालय ने मांगीस्तऊ क्षेत्र और देश के सभी प्रमुख शहरों में शांतिपूर्ण विरोध को "आतंकवादी, अतिवादी आपराधिक समूहों द्वारा अपहृत" बताया। बयान में कहा गया है, "अलमाती और देश के कई अन्य क्षेत्रों की घटनाओं से जाहिर हुआ है, कजाखस्तान में विदेशों में प्रशिक्षित व संगठित आतंकवादी गुटों ने घुसपैठ कर ली है। उपद्रवियों में ऐसे कट्टरपंथी इस्लामी कारकून शरीक थे जो सैन्य रूप से प्रशिक्षित थे। इस दलील को रूस (CSTO) से सैन्य मदद को वाजिब ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया। टोकायेव ने इस प्रकार के तत्वों की तादाद तकरीबन 20,000 बताई है। सरकार यह नहीं बता पा रही है कि ये तत्व इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ करने में कैसे कामयाब हो सके? टोकायेव ने 7 जनवरी को अपने एक बयान में मानवाधिकार कर्मियों को भी निशाने पर लेते हुए उन्हें गड़बड़ी करने व अधिकारों का दुरुपयोग करने का दोषी बताया। जाहिर है, सरकार जानबूझकर विरोध के जनवादी स्वरूप को अनदेखा और समूह विशेष की गतिविधियों के नाम पर आम जनता को कुचलना चाहती है जबकि इन गतिविधियों के लिए खुद सरकार और उसके भीतर सक्रिय तत्व जिम्मेदार रहे हैं।

राष्ट्रपति टोकायेव ने इस अवसर का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने और नजरबायेव को किनारे करने के लिए किया। सरकार का त्यागपत्र मंजूर करने के साथ नजरबायेव के करीबियों को निशाना बना करके जनता के गुस्से को मोड़ने की कोशिश की गई है। ऐसा जतलाया जा रहा है हिंसक तत्वों को पूर्व राष्ट्रपति के करीबियों और सुरक्षा सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (KNB) की शह हासिल थी। दो बार प्रधानमंत्री रह चुके राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख करीम मासीमोव की बर्खास्तगी के बाद उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई नहीं की। नजरबायेव की जगह खुद टोकायेव राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख बन गए हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में टोकायेव ने तख्तापलट की साजिश बताते हुए सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाई की प्रारंभिक कमी के लिए सत्तारूढ़ अभिजात

से ढ़कने की कोशिश

वर्ग में आंतरिक संघर्ष को जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रपति ने सांसदों को संबोधित करते हूए कहा है, ''कई शहरों में, केएनबी प्रमुखों ने पर्याप्त हथियार होने के बावजूद, बिना मुकाबला किए कार्यालय से पलायन कर दिया ... हथियार तथा गुप्त दस्तावेज भी छोड़ दिए।''

जन संघर्ष को हिंसक वारदातों की ओर ले जाने में एक हद तक सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के आंतरिक संघर्ष की भी भूमिका रही है। बहरहाल, इसका लाभ टोकायेव को मिला, रूस के साथ गठबंधन और मजबूत हुआ। नजरबायेव की प्रतिष्ठा बतौर ''राष्ट्र नेता'' औपचारिक ही रह गई है। उसने टोकायेव प्रशासन को पूर्ण समर्थन दिया है। दरअसल, वे पूरी तरह शक्तिहीन कर दिए गए हैं। बहरहाल, कजाखस्तान की सत्ता पर वहां के कुलीन वर्ग की इस धड़ेबंदी का रिश्ता साम्राज्यवादी शक्तियों, विशेष रूप से अमेरिका, रूस और चीन के बीच जारी प्रतिद्वंद्वता से जुड़ा है। कजाखस्तान की सीमा रूस के साथ काफी लम्बाई में है। यहां की आबादी में रूसियों की बड़ी तादाद है। रूस के पास बैकोनूर स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स और एंटी–बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण जैसी महत्वपूर्ण रणनीतिक सुविधाएं हैं। कजाखस्तान के पूरब की सीमा चीन से लगी हुई है। वह कजाखस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। यूरोप से जोड़ने वाले भू–मार्ग में कजाखस्तान महत्वपूर्ण हिस्सेदार है। यहां बसी वीगर आबादी के प्रति चीन खास सतर्क है। कजाखस्तान और आम तौर पर मध्य एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका को कम करने में रूस और चीन दोनों की दिलचस्पी है। कजाखस्तान में रूसी सैनिकों की तैनाती का अमेरिका ने विरोध किया, लेकिन वहां अमेरिका की भूमिका सीमित है।

बहुध्रुवीय विश्व के अंतर्विरोध

सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस, चीन और अमेरिका के साथ कजाखस्तान के जिस तरह के संबंध थे, बदलते समीकरण और साम्राज्यवादी शक्तियों के अंतर्विरोधों के नए विकास के बाद, उनमें बदलाव आना ही है। अमेरिका के प्रभाव में काफी कमी आई है। निशाना पश्चिम समर्थक कुलीन वर्ग बना। अफगानिस्तान में अमेरिका की हार और सैन्य वापसी के बाद, बदले परिदृश्य में अमेरिका यह जाहिर करने की कोशिश में है कि कुछ खास नहीं बदला है, सब कुछ पहले जैसा है। दूसरी तरफ रूस अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देता हुआ लगाम लगाने की कोशिश में है। एक ध्रुवीय विश्व के दौरान उसे मजबूरन जिन स्थितियों को मानना पड़ा था, वह उन्हें बदलना चाह रहा है। वह यूरोप और मध्य एशिया में अमरीकी साम्राज्यवाद की घुसपैठ रोकना चाहता है। अमेरिका मध्य एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार ''मध्य एशिया के एकीकरण की परियोजना'' के तहत करने की रणनीति पर चल रहा है। इसके तहत रूस के प्रभाव को कम करने के लिए कजाखस्तान का खास महत्व है। इस परिप्रेक्ष्य में कजाखस्तान में रूसी कार्रवाई का सीधा रिश्ता यूरोप में साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्वता से जुड़ा है। रूस नाटो के पूर्व की ओर विस्तार के एकदम खिलाफ है। पूर्वी यूरोप के वे देश जो नाटो मे शामिल हो चुके हैं, वहां से पश्चिमी देशों के सैन्य बल और उच्च तकनीक वाले हथियार हटाने की मांग कर रहा है। इन मुद्दों पर अमेरिका और रूस के बीच वार्ता से कुछ दिन पहले कजाखस्तान में यह उथल–पुथल व हिंसक घटनाएं हुईं हैं।

अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी के बाद, रूस की सैन्य सक्रियता बढ़ी है। इससे पहले 2010 में किर्गिस्तान और 2021 में आर्मेनिया ने रूस से सैन्य मदद मांगी थी। उस समय रूस ने मदद नहीं की थी। इस समय कजाखस्तान में स्थिति अलग है। राष्ट्रपति पुतिन ने सीएसटीओ की सैन्य दखलंदाजी की पैरवी करते हुए कहा है, '' हम ... तथाकथित रंग क्रांतियों की अनुमति नहीं देंगे।'' दिसंबर 2021 में ही रूस और कजाखस्तान ने 10 साल के सैन्य सहयोग समझौते को मंजूरी दी थी। रूस के प्रभाव क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों की घुसपैठ को रोकने और उन्हें वहां से हटने के लिए रूस अपनी कोशिशों में जुट गया है। पुतिन की अगुआई में रूस के सत्ताधारी कम्युनिस्ट दौर के सोवियत समाजवादी गणतांत्रिक संघ (USSR) की पुनर्स्थापना की दिशा में नहीं हैं। वे जार कालीन रूसी साम्राज्य के लिए प्रयासरत हैं। एक समय यूरोप का कोतवाल ("Gendarme of Europe") कहा जाने वाला जारकालीन रूस यूरेशिया में निरंकुश शासनों के हितैषी और जनता के आंदोलनों को कुचलने वाली दमनकारी शक्ति के रूप में आगे आ रहा है! चीन को अपना प्रभाव बढ़ाते वक्त अमेरिका और उसके सहयोगियों से मुकाबला करना पड़ रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगियों का सामना करने के लिए रूस की स्थिति बेहतर हुई है। अमेरिका का शासक वर्ग अनेक अंतर्विरोधों से घिरा है। श्रम और पूंजी के बीच तेज होते अंतर्विरोध जिसका उदाहरण बढ़ती असमानता और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष है। इन स्थितियों में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खतरे के नाम पर वह उन्माद उत्पन्न कर रहा है। अमेरिकी शासकों को लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व में भी तीसरी दुनिया के देशों के साथ बढ़ते अंतर्विरोध का सामना करना पड़ रहा है। साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच बढ़ते संघर्षों की ओट में अमेरिकी शासक वर्ग की कोशिश है अमेरिका में जारी आंतरिक संघर्ष से ध्यान हटाना और इसके साथ ही तीसरी दुनिया के देशों के राजशाहों, तानाशाहों के प्रति अमेरिकी समर्थन से ध्यान हटाना।

भविष्य की इबारत

कजाखस्तान में असली मुद्दा है तेजी से बढ़ती बेरोजगारी और आम जनता के बदतर जीवन के हालात। आम जनता का असंतोष स्वतःस्फूर्त संघर्षों के जरिए व्यापक जनउभार में प्रस्फुटित हो रहा है। इन संघर्षों की मुख्य शक्ति हैं मजदूर और बेरोजगार युवा। ये ही इन संघर्षों के हरावल हैं। रोटी–रोजी और रहन–सहन की बेहतर परिस्थितियों के लिए श्रमिकों के निरंतर जारी संघर्ष, शासक वर्ग व साम्राज्यवादी शक्तियों के अंतर्संघर्षों में तरोहित नहीं हो सकेंगे। संसाधन संपन्न कजाखस्तान के मेहनतकश इन जनसंघर्षों के माध्यम से नए उज्ज्वल भविष्य की इबारत लिख रहे हैं।

4 नये लेबर कोड ठेका मजदूरों के मौजूदा अधिकारों पर चोट करते हैं।

आज सभी बडे उद्योगों में चाहे वे सरकारी हैं अथवा प्राइवेट, 80 प्रतिशत से अधिक मजदूर ठेका मजदूर हैं। उनका काम भी स्थाई प्रकृति का है परंतु उन्हें स्थाई मजदूरों के मुकाबले बहुत कम वेतन मिलता है और अन्य लाभों से भी वंचित हैं जबकि वे स्थाई मजदूरों के समान काम करते हैं। ठेकेदार खुलेआम श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इन ठेका मजदूरों को कभी भी काम से निकाला जा सकता है और ठेकेदार बदलते है तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है और नये ठेकेदार की मर्जी हो तो उन्हें नये सिरे से काम पर रखा जाता है। मजदूरों को डर बना रहता है कि अपने अधिकार मांगेंगे एवं यूनियन बनाकर अपनी मांगों के लिये आन्दोलन करेंगे तो उनकी नौकरी चली जायेगी। किंतु इस सब के बावजूद जब ठेका मजदूर हिम्मत करके यूनियन बनाकर आवाज उठाते हैं व कंपनी व उसके ठेकेदारों के दमन का मुकाबला करते हुए संघर्ष करते हैं तो वे अपने अधिकार हासिल भी कर लेते हैं क्योंकि वो अधिकार कानून में लिखे हूए हैं और मजदूरों के संघर्ष से मजबूर होकर कंपनी प्रबंधन, ठेकेदार एवं श्रम विभाग को वो अधिकार लागू करने पडते है। इस तरह से पुराने श्रम कानून ठेका मजदूरों के संगठित होने, मांग उठाने व संघर्ष करके उन्हें हासिल करने का आधार बनते हैं।

किंतु मजदूरों ने संघर्ष द्वारा बनवाये हुए 29 पुराने श्रम कानूनों को अब केन्द्र सरकार ने खत्म करके उनकी जगह 4 नये लेबर कोड बनाये हैं जिन्हें 1 अप्रैल 2022 से लागू करने की उसने घोषणा की है। इन मजदूर–विरोधी 4 नये लेबर कोड में ठेका मजदूरों के कई अधिकारों को समाप्त किया गया है जिससे उन्हें काफी नुकसान होगा।

पुराने ठेका श्रम (उन्मूलन और विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों को काफी छोटा करके 12 अन्य कानूनों के साथ मिलाकर "कार्य में सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की परिस्थितियां" नामक एक लेबर कोड मे शामिल किया गया है। इसके अलावा जहां पुराना कानून 20 से कम ठेका मजदूर होने पर लागू नहीं होता था वहां अब 50 से कम मजदूर होने की स्थिति में कानून लागू नहीं होगा और बडी संख्या में ठेका मजदूर कानून की सुरक्षा से बाहर हो जायेंगे।

पुराने ठेका श्रम कानून के तहत ठेका कामगार रखने के लिए संस्थान (मुख्य कंपनी) को पंजीकृत होना आवश्यक था जबकि नए कोड में कंपनी (प्रधान नियोजक) को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। इसलिए अब केवल ठेकेदार को एक लाइसेंस प्राप्त करना होगा जो 5 वर्षों के लिए वैध होगा। इस शर्त को भी हल्का करके लाइसेंसिंग अधिकारी उसे ''कार्य विशिष्ट लाइसेंस'' के नाम पर एक टेम्पोरेरी लाईसेंस भी जारी कर सकता है।

पूराने कानून के तहत, प्रधान नियोजक (कंपनी) के पास रजिस्टरों और रिकॉर्ड को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी और ठेका मजदूरों को वेतन के भुगतान के समय और भुगतान को प्रमाणित करने के लिए उसके प्रतिनिधि को उपस्थित होना अनिवार्य था। यह सब समाप्त किया गया है और प्रधान नियोजक की बची हुई जिम्मेदारी केवल यह है कि यदि ठेकेदार वेतन देने में विफल रहता है तो वह वेतन भुगतान करेगा। मूल बात है कि अभी तक ठेका मजदूर अपनी मांगों के लिये संघर्ष करते थे तो कंपनी प्रबंधन को अंततः मजबूर होकर श्रम विभाग में या अन्य तरीके से बातचीत में शामिल होना पडता था और ठेका मजदूरों की मांगों को हल करवाना पडता था। कोर्ट में कंपनी के खिलाफ भी केस डाला जा सकता था। अब कंपनी को इस सब झंझट से मुक्त कर दिया गया है और मजदूरों को अलग–अलग ठेकेदारों को ढूंढते रहना पडेगा। जब कंपनी की जिम्मेदारी हट जायेगी तब ठेकेदार बदलने पर मजदूरों की नौकरी वहीं जारी रहने का सवाल भी नहीं रहेगा। पी.एफ., ई,एस. आई. इत्यादि को लागू करवाने के लिये भी अलग–अलग ठेकेदार को ढूंढते रहना पडेगा। ठेकेदार भाग जाये तो उसको मजदूर कहां से ढूंढेंगे।

महत्वपूर्ण बात यह है कि पुराने कानून का उद्देश्य ठेका मजदूरी को समाप्त करना व ठेका मजदूरों को नियमित करना था जो अब खत्म कर दिया गया है। नये कानून में ठेका मजदूरों के लिये विश्राम स्थल, कैन्टीन, व कुछ अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के बारे में लिखा तो है परंतु ये लागू कौन करायेगा जब नये कानूनों में इनस्पेक्टरों को दोषी मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करने का काम देने के बजाय उन्हे मालिकों को कानून लागू करने की सलाह देने का काम दिया गया है। पहले लेबर कोर्ट का रास्ता खुला था परंतु अब उस रास्ते से भी राहत मिलने की उम्मीद कम है क्योंकि फैसला करने के लिये जजों की जगह सेवानिवृत्त सरकारी अफसर वहां मिलेंगे।

नये औद्योगिक संबंध कोड में किसी भी तबके के मजदूरों का यूनियन बनाने का अधिकार सीमित हो जायेगा और यूनियन को मालिक या ठेकेदार द्वारा मान्यता दी जायेगी तभी उसको मजदूरों की पैरवी करने का अधिकार होगा। हडताल करने के लिये ऐसी शर्ते रखी गई हैं की सरकार आसानी से हडताल को गैरकानूनी घोषित कर सकती है। संघर्ष के विभिन्न रुपों के लिये और संघर्ष का समर्थन करने के लियें भी भारी जुर्माने व दण्ड निर्धारित किये गये हैं।

ठेका मजदूरी में बडी संख्या में महिला मजदूर भी हैं जिन्हें श्रम कानून लागू नहीं होने के कारण आज भी समान काम के लिये पुरुषों से कम वेतन मिलता है और जब नये लेबर कोड के अंतर्गत श्रम कानून लागू करने के ढांचे को प्रभावहीन कर दिया जायेगा तो उन्हें न्याय मिलना और भी मुश्किल हो जायेगा।

ऐसा नहीं है कि पुराने श्रम कानून अब तक सही ढंग से लागू हो रहे थे या उन्हें लागू करवाने के लिये संघर्ष आसान था परंतु ये कानून एक आधार देते थे जिसे लेकर हम अपने आप को संगठित कर सकते थे और अपनी मांगें निर्धारित कर सकते थे।

"व्यापार करने की सरलता" के नाम पर नये लेबर कोडों का मूल उद्देश्य

(शेष पृष्ठ 8 पर)

सिगरेट चोरी में 3 माह से जेल और मौत से रिहाई ?

जीशान की मौत – न्यायपालिका और जेलों पर सवाल

अनिल दुबे

देश की राजधानी दिल्ली में सिगरेट चोरी के आरोप में 3 माह से जेल में बंद एक 19 वर्षीय बच्चे जीशान की तिहाड़ सेंट्रल जेल में शारीरिक उत्पीड़न (उसके शरीर पर मिले घाव के निशान) से हुई मौत ने लोगों की संवेदनाओं को झकझोर दिया है लेकिन राजनीति और न्याय प्रणाली के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आरएसएस–भाजपा सरकार के सांप्रदायिक एजेंडे को दिन–रात हवा देने वाले कारपोरेट मीडिया में भी इस खबर को कोई जगह नहीं मिली। देश की जेलों और पुलिस हिरासत में मौत (हत्या) की यह पहली या आखिरी घटना नहीं है। छोटी–मोटी चोरी या निजी मामलों में एक दबंग पक्ष द्वारा अपने विरोधी को गिरफ्तार करा देना और पुलिस द्वारा उत्पीड़ित कर उसकी हत्या करा देना कोई नई बात नहीं है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि पुलिस और जेलें हत्या के लिए सुपारी लेने लगी हैं। इसकी बड़ी वजह भारत के अर्धसामंती और अर्ध औपनिवेशिक राज में ब्रिटिश साम्राज्य के काले कानूनों का बदस्तूर जारी रहना है। यही कारण है कि वर्ष दर वर्ष जेलों में और पुलिस हिरासत में बेकसूर लोगों की मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसमें भी बड़ी संख्या गरीब तबकों– आदिवासियों, दलितों व अल्पसंख्यकों की होती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) मानवाधिकारवादी और नागरिक अधिकार संगठनों द्वारा विरोध किए जाने के बाद ही इनमें से कुछ मामलों पर ही औपचारिकता निभाने के लिए संज्ञान लेता है, जो खानापूर्ति जैसी होती है। बावजूद इसके एनएचआरसी ने जो आंकड़े दिए हैं वह हैरान करने वाले हैं। पिछले 20 वर्षों में 1888 लोगों की हिरासत में मौत हुई है, जिसमें पुलिस कर्मियों के खिलाफ 893 मामले दर्ज हुए जबकि केवल 358 पुलिस अधिकारी और न्यायिक अधिकारी औपचारिक रूप से अभियुक्त थे। इस अवधि में सिर्फ 26 पुलिसकर्मियों को ही दोषी ठहराया गया। हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में गुजरात नंबर एक और दूसरे नंबर पर आरएसएस–भाजपा की नई प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश है, जहां बीते 7 वर्षों में कोई पुलिसकर्मी दोषी सिद्ध नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर (एनसीएटी) के अनुसार वर्ष 2019 में प्रतिदिन लगभग 5 लोगों की हिरासत में मौत हुई।

भारत की जेल, पुलिस प्रशासन, आईपीसी व सीआरपीसी और इन सब की मदद से न्याय देने का तमाशा करने वाली न्यायपालिका को लेकर पिछले वर्ष प्रदर्शित ''भीम'' फिल्म लोगों के दिलों दिमाग को झकझोरती है। आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों और आम गरीब लोगों के साथ ऊंच–नीच का होने वाला बर्ताव और सामाजिक उत्पीड़न की स्थिति में पुलिस, ठेकेदार, अपराधी, राजनेता और न्यायपालिका का कथित गठजोड़ बताता है कि किस तरह शारीरिक, मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न के कारण प्रतिवर्ष देश में लाखों लोग तबाह कर दिए जाते हैं। हजारों गरीब जिनमें मुख्यतः आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक हैं, जेलों में कथित न्याय व अपनी रिहाई के इंतजार में बंद हैं। वहीं बड़ी संख्या में इन्हीं तबकों के मजलूम जेलों में और पुलिस हिरासत में पिटाई में मारे जाते हैं। एनएचआरसी आंकड़ों के अनुसार देश में 5 लोग प्रतिदिन जेलों व पुलिस उत्पीड़न में मारे जाते हैं।

दिल्ली में सिगरेट चोरी का अपराध जो कि प्रूफ नहीं हुआ था, 19 वर्षीय एक गरीब और अल्पसंख्यक युवा के लिए इतना संगीन हो जाता है कि उसे इस अपराध में जमानत भी नहीं मिलती। वह 3 माह जेल में रहता है। इस दौरान तीन बार उसकी जमानत की अर्जी माननीय अदालत खारिज कर देती है। और अंततः दुनिया के सबसे बड़े कथित लोकतंत्र की न्याय व्यवस्था में उसकी रिहाई मृत्यु के बाद ही हो पाती है। यह खबर ना तो मीडिया की सुर्खियां बनती है और ना ही देश की संसदीय राजनीति और न्यायपालिका में कोई हरकत होती है, जबकि यह घटना देश की संसद से कुछ ही किलोमीटर के दायरे में होती है। पूर्वी दिल्ली के राधू पैलेस प्रीत विहार थाना के तहत झुग्गी बस्ती में रहने वाले मोहम्मद याकूब और शन्नो के बेटे जीशान वहीं मोटर मैकेनिक का काम करता था। 19 नवंबर 2021 को सिगरेट चोरी के आरोप में एफआईआर नंबर 455/21 के तहत सीआरपीसी की धारा 154 में पकड़ा जाता है। उस पर 457 और 380 की धाराएं लगाई जाती है। यह धाराएं गैर जमानती हैं और कोर्ट में उसकी जमानत नहीं होती और उसे 20 नवंबर को जेल भेज दिया जाता है। जहां से 15 फरवरी 2022 को जीशान के माता–पिता को फोन द्वारा उसके बीमार होने की खबर दी जाती है और अस्पताल पहुंचने पर उसको मृत बता दिया जाता है।

जीशान के मौत की खबर किसी को पता भी ना चलती यदि फासीवादी मंसूबों के खिलाफ अभियान चलाने वाले मानवाधिकारों व नागरिक अधिकारों के मुद्दों पर आवाज उठाने वाले संगठन ''जन हस्तक्षेप'' की टीम ने पूरे मामले की जांच करके खुलासा ना किया होता। जेएनयू के प्रोफेसर डॉ विकास बाजपेई और वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन ने जीशान की कथित हत्या को लेकर जांच की। इस संदर्भ में जन हस्तक्षेप के जांच दल ने जीशान के माता–पिता, परिजनों, तिहाड़ जेल के प्रशासन, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के डॉक्टर और पुलिस अधिकारियों से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट तैयार की। जनहस्तक्षेप ने 21 पेज की रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपने निष्कर्षों के साथ ही कई मांगो को ज्ञापन के रूप में भेजा है। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच, मृतक के परिजनों को मुआवजा देने के साथ अन्य मांगें हैं। जीशान की मां का आरोप है कि उन्हें तिहाड़ जेल के एक मुंशी ने बताया कि उनके बेटे को जेल में बहुत पीटा जाता था और गंभीर यातना के चलते ही उसकी मौत हुई। उसके हाथ, पैर की हड्डियां टूटी हुई थीं और शरीर पर बुरी तरह से यातना दिए जाने के निशान थे।

जन हस्तक्षेप के संयोजक डा. बाजपेई और सत्येंद्र रंजन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 19 नवंबर को जीशान को सिगरेट चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दुकान सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स और पानी बोतलों की थी। परिजनों के अनुसार दुकान से दो–तीन पैकेट सिगरेट चोरी का आरोप था जबकि दुकान में और सारी सिगरेट सुरक्षित थी। जीशान के परिवार ने बताया कि पुलिस ने मामले को रफा–दफा करने के लिए 15000 रूपए की मांग की थी लेकिन जीशान का परिवार रुपए की व्यवस्था नहीं कर सका और उसे जेल भेज दिया गया। परिवार के पास जमानत के लिए वकील भी नहीं था तो लीगल एड नियम के तहत उन्हें वकील उपलब्ध कराई गई। उक्त वकील अपूर्वा भाटी ने 15 दिन बाद जमानत अर्जी दी, जिसे रद्द कर दिया गया। माननीय जज ने तीन बार जमानत की अर्जी रद्द की।

जन हस्तक्षेप की टिप्पणियों में न्याय प्रणाली की खामियों पर भी सवाल उठाया गया है कि सिगरेट चोरी के आरोप में जमानत न होना आश्चर्यजनक है, जबकि बड़े आर्थिक अपराधी मुक्त घूम रहे हैं। 25 जनवरी को फिर बेल की कोशिश की जाती है। जज 20 हजार रुपए की जमानत पर बेल देते हैं, लेकिन परिवार इसकी भी व्यवस्था नहीं कर पाता। 4 फरवरी को पुनः अदालत में जज मानते हैं कि इस मामले में जमानत होनी चाहिए, लेकिन जीशान जेल से रिहा नहीं हो पाता। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि तीन–तीन बार जमानत अर्जी दायर होने के दौरान भी आरोपी को कोर्ट में पेश नहीं किया गया।

15 फरवरी को जीशान की मां शन्नो के पास फोन आता है कि तुम्हारा बेटा बीमार है उसके सीने में दर्द है और उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहां जाने पर पता चलता है कि जीशान की मौत हो चुकी है। डेड बॉडी परिवार को नहीं दी जाती क्योंकि उसका पोस्टमार्टम कराया जाना था। बाद में जीशान के शव को दफन करने के लिए जब नहलाया जाता है, तो घर वाले बताते हैं कि उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। जीशान के पिता मोहम्मद याकूब बताते हैं कि उसके शरीर पर चोट के गंभीर निशान थे। उनके लड़के के कंधे, कोहनियां, हाथ–पैर की हड्डियां टूटी थीं। माथे, नाक, आंख पर भी चोट के गहरे निशान थे। यही नहीं मांसपेशियां भी बुरी तरह से सूजी हुई थीं। ऐसी चोट तो किसी दुर्घटना में भी नहीं लगती।

जन हस्तक्षेप की टीम ने जब तिहाड़ जेल में जीशान की मौत के संदर्भ में बात करने की कोशिश की तो अधिकारियों ने टालमटोल किया और किसी ने भी संतोषजनक बातचीत नहीं की, जबकि नियम है कि कस्टोडियल डेथ होने पर 24 घंटे में एनएचआरसी को सूचित किया जाता है। बहुत कोशिश के बाद ला ऑफिसर जोरावर सिंह ने बताया कि हां ऐसा एक मामला हुआ है जिसमें मृतक ड्रग एडिक्ट था। वह बीमार था और उसकी प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई थी। उसे ब्लीडिंग हो रही थी इसलिए उसकी मौत हो गई। हड्डियों की चोट संबंधी सवाल पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जेल प्रशासन जीशान की मौत के तथ्यों पर पर्दा डाल रहा है। दुनिया में कोई भी डॉक्टर यह नहीं कह सकता कि प्लेटलेट्स गिरने से हाथ पैर की हड्डियां और पसलियां टूट जाती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए एक बोर्ड बना दिया गया है। अस्पताल के एक चिकित्सक ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर कहा कि यह मामला ब्लीडिंग और प्लेटलेट्स गिरने का ही है। कैदियों का जेल में उत्पीड़न और मृत्यु को लेकर तिहाड़ जेल कुख्यात हो चुकी है। इसे देश की सबसे सुरक्षित और सुविधा युक्त जेल बताया जाता है। तिहाड़ में कैदियों के बीच हिंसक झड़पों की घटनाएं भी आम हैं व कैदियों की मौत एक बड़ी साजिश का हिस्सा होती हैं। बीते दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े के 8 दिनों में ही 5 कैदियों की मौत हुई है। इन सभी मामलों की सेक्शन 176 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है। जेल प्रशासन जीशान की तरह ही इन मौतों को भी नेचुरल डेथ बता रहा है।

तिहाड़ जेल की इस घटना के बाद बीते 5 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर के कैंट में साबुन चोरी के आरोप में जेल गए 28 वर्षीय युवक की जमानत पर बाहर आने के बाद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह डिप्रेशन में था। जितेंद्र विश्वकर्मा नामक यह युवक जून 2021 में दुकान से साबुन चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसके भाई रविंद्र ने मीडिया को बताया कि जब वह जेल गया तो बिल्कुल स्वस्थ था लेकिन जेल के अंदर उसकी तबीयत खराब होती गई उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह किसी को पहचान नहीं पा रहा था वह बार–बार बेहोश हो जाता था। अंततः जेल कर्मियों ने उसे 15 फरवरी 2022 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस बीच एक सप्ताह पूर्व उसकी जमानत भी हो गई और जेल प्रशासन ने बीमारी की हालत में ही उसे परिजनों को सौंप दिया और अंततः उसकी मौत हो गई। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कासगंज में 22 वर्षीय अल्ताफ नामक युवक की पुलिस हिरासत में मौत काफी चर्चा में रही है। उसको एक नाबालिग हिंदू लड़की के गायब होने के मामले में हिरासत में लिया गया था। परिवार का आरोप है कि बेरहमी से पीटे जाने के कारण उसकी मौत हुई जबकि पुलिस ने रिपोर्ट दी कि थाने के शौचालय में एकदम नीचे लगे हुए पानी के नल में फांसी लगाकर उसने आत्महत्या की है और मामला रफा–दफा कर दिया गया।

गंगा–जमुना फिल्म 1961 में चोरी के आरोप में बंद दिलीप कुमार के डाकू बनने की कहानी देश में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक असमानता और राजनीतिक व न्यायिक संवेदनहीनता के प्रमाण की कहानी थी। आज भी ऐसी घटनाएं देश भर में रोजाना कहीं ना कहीं हो रही हैं। इसके सर्वाधिक शिकार गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और जल, जमीन, जंगल के सवाल पर लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले आदिवासी और उनकी मदद करने वाले वकील और बुद्धिजीवी हो रहे हैं। समाज के इस अत्यंत गरीब तबके के

➔

जीशान की मौत - न्यायपालिका और जेलों पर सवाल

➔

साथ मौजूदा कानूनी तंत्र निरंतर आपराधिक ढंग से व्यवहार करता आ रहा है। यही कारण है कि सामान्य कानूनों से लेकर यूएपीए जैसे कठोर कानूनों के तहत हजारों गरीब व आदिवासी वर्षों से जेलों में बंद हैं। बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं जहां किसी अपराध में दोषी को जितनी सजा होनी चाहिए उससे ज्यादा समय से वह जेल में रह चुका होता है।

मौजूदा न्याय प्रणाली भी कथित संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की ही तरह पूरी तरह से जनविरोधी और खोखली हो चुकी है। देश में मानवाधिकार की हालत देश के दलित और आदिवासियों जैसी लावारिस की है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में हिरासत में 76 मौतें हुईं जिसमें सबसे ज्यादा मामले गुजरात के थे। इस सूची में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के भी मामले शामिल हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि जिन कुछ मामलों में पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामले दर्ज भी होते हैं, तो उन पर आरोप सिद्ध नहीं होते। 20 वर्षों में सिर्फ 26 पुलिसकर्मियों को सजा हुई है।

एनसीआरबी के आंकड़ों से इतर नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टार्चर (एनसीएटी) के अनुसार वर्ष 2019 में प्रतिदिन 5 लोगों की हिरासत में मौत हुई है। एनसीएटी द्वारा दर्ज मामलों से पता चलता है कि भारत में अपराध के आंकड़ों की तुलना में हिरासत में मौत की स्थिति और अधिक खराब है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार इतनी मौतें 20 वर्ष में हुई हैं, जबकि एनसीएटी की रिपोर्ट इस संख्या को 2019 का होने का दावा करती है। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स 1980 से लेकर अब तक हिरासत में हुई मौतों घटनाओं की जांच कर रहा है। जन हस्तक्षेप के संयोजक वाजपेई के अनुसार एनएचआरसी को शासक वर्गों की सभी पार्टियों की सरकारों ने लगातार कमजोर किया है।

एनएचआरसी के मौजूदा अध्यक्ष अरुण मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में न्यायधीश रहते समय भी विवादास्पद रहे हैं। एनएचआरसी अध्यक्ष का यह कहना कि हिरासत में मृत्यु के बढ़ते मामलों से विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। ऐसे बयान अपने आप में जनता के मानवाधिकारों की लड़ाई को कमजोर करते है। इसके विपरीत पिछले वर्ष अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने पुलिस थानों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि नियमों का पालन न करने के कारण लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है। साथ ही अन्य बातों के अलावा हिरासत में मौतें भी हो रही हैं। पुलिस थानों में प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व का अभाव हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए बड़ा नुकसान है। पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री का इस्तेमाल चिंताजनक है।

एनसीएटी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में पुलिस हिरासत में मरने वाले 125 लोगों में गरीब और निम्न समुदायों के थे। 111 मौतों में से 55 लोगों की मौत की वजह आत्महत्या बताई गई है। कथित आत्महत्याओं के मामले में उत्तरप्रदेश सबसे ऊपर है और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। वहीं एनसीआरबी के अनुसार पुलिस हिरासत में देश भर में वर्ष 2020 में 43 लोगों की मौत हुई। इसमें सर्वाधिक 15 मौतें गुजरात में हुईं। आंध्र प्रदेश में दो, हरियाणा में तीन, महाराष्ट्र में पांच, पंजाब में एक, राजस्थान में दो, तमिलनाडु में चार, तेलंगाना में एक और पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति की मौत हुई।

वहीं दूसरी ओर एनसीआरबी की जेल संबंधी रिपोर्ट के अनुसार जेलों में मौत की घटनाएं बढ़ी हैं। वर्ष 2015 में 1584, 2016 में 1655 और 2017 में 1671 कैदियों की मौत हुई। इसमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 2015 में 323, 2016 में 429 और वर्ष 2017 में 395 की जेल में मौत हुई। हालांकि इसमें सर्वाधिक मौतें नेचुरल डेथ बताई गई हैं। जबकि नेचुरल डेथ के मामले इन वर्षों में 21, 56 और 9 दर्ज की गई हैं। दूसरे नंबर में पंजाब की जेलें हैं जहां इन वर्षों में 178, 152 और 145 की मौत हुई। तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है जहां वर्ष 2015 में 135, 2016 में 146 और 2017 में 102 मौतें हुईं। महाराष्ट्र में इन वर्षों में क्रमशः 114, 121 और 119 कैदियों की मौत हुईं। बिहार में इन वर्षों में 84, 74 और 115 मौतें हुईं। तेलंगाना में भी इन वर्षों में क्रमशः 33, 24 और 17 मौतें हुईं। इसी तरह उड़ीसा में इन वर्षों में क्रमशः 45, 48 और 46 मौतें हुईं।

एनसीआरबी की ''प्रिजनर्स स्टैटिसटिक्स इंडिया'' की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में 1671, 2018 में 1845 और 2019 में 1775 कैदियों की जेल में मृत्यु हुई। इन 3 वर्षों में भी अधिकांश मौतों को नेचुरल डेथ बताया गया है। एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहता रहा है। वर्ष 2017 में यूपी में 395, 2018 में 443 और 2019 में 422 कैदियों की जेलों में मौत हुई। दूसरे स्थान पर पंजाब जहां वर्ष 2017 में 145 वर्ष 2018 में 155 और 2019 में 137 कैदियों की मौत हुई। तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है जहां इन 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 120–120 कैदियों की मौत के आंकड़े आए हैं। महाराष्ट्र में क्रमशः 119, 135 और 132 कैदियों की जेलों में मौत हुई। बिहार में इन वर्षों में 115, 120 और 110 की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में इन वर्षों में क्रमशः 48, 54 व 52 और तेलंगाना में क्रमशः 17, 8 और 22 कैदी जेलों में मरे।

देश भर की जेलों में कैदियों के उत्पीड़न जिसमें मुख्यतः गरीब तबके के लोग होते हैं, उनके शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की बेहिसाब घटनाएं होती हैं, लेकिन वह चर्चा में तब आते हैं जब उनकी मौत हो जाती है। उसमें से भी कुछ ही मामलों की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचती है और वह भी अधिकांश मामलों पर लीपापोती कर देता है। एनसीआरबी के अनुसार एनएचआरसी में आई शिकायतों संबंधी आंकड़ों में वर्ष 2020 में कुल 355 शिकायतें आयोग को मिलीं। इसमें से 164 मामले उसने निपटाए, जबकि 196 शिकायतें लंबित हैं। वर्ष 2019 में कुल 290 शिकायतें आईं जिसमें से 199 मामले उसने निपटाए और 101 लंबित हैं। वर्ष 2018 में 331 शिकायतें आईं और 239 निपटाए गए और 94 लंबित हैं। एनएचआरसी के पास 2020 में सर्वाधिक 84 मामले पश्चिम बंगाल, 55 मामले तमिलनाडु, 39 मामले दिल्ली, 37 मामले पंजाब, 26 उड़ीसा, 21 केरल और बिहार से 3, उत्तर प्रदेश से 32, उत्तराखंड से 28 शिकायतें आईं। एनएचआरसी के अलावा राज्यों में मानवाधिकार आयोग के पास भी वर्ष 2020 में 405 शिकायतें आईं जिसमें से 158 निपटाए गए और 247 लंबित हैं। राज्य आयोग को 2019 में 464 और 2018 में 548 शिकायतें प्राप्त हुईं। सर्वाधिक शिकायतें पंजाब आयोग के पास आईं। पंजाब में वर्ष 2018 में 170, 2019 में 180 और 2020 में 141 शिकायतें आईं जिसमें से क्रमशः 103 और 118 शिकायतें लंबित हैं। तमिलनाडु में राज्य आयोग को 2018 में 103 शिकायतें मिली थी।

दरअसल 1947 के 7 दशकों के बाद भी देश सामंती उत्पीड़न के चंगुल से उबर नहीं सका है। शासक वर्गों द्वारा तैयार किए गए संविधान और संसदीय लोकतंत्र में उल्लेखित होने के बावजूद आम जनता को न्याय, समता, समानता का न्यूनतम अधिकार भी नहीं प्राप्त हो सका है। चुनाव के नाम पर गरीबों से प्रतिनिधि जरूर चुन लिए जाते हैं, लेकिन अंततः वह पूंजीपतियों, सामंतों, ठेकेदारों, नौकरशाहों और हाल के वर्षों में न्यायपालिका के साथ हुए अपवित्र गठजोड़ का हिस्सा बन जाते हैं। भारतीय जेलें आम गरीब लोगों के साथ ही देश में समता, समानता और आर्थिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे मजदूरों और किसानों के क्रांतिकारी संघर्षों के अलावा न्याय, मानवाधिकारों और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले बुद्धिजीवियों, लेखकों, वकीलों के लिए बूचड़ खाना बन चुकी हैं। जेल में मानवाधिकारवादी कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की मौत इसका बड़ा उदाहरण है। ऐसे में शासक वर्गों से आम गरीब जनता न्याय की उम्मीद नहीं कर सकती। अपने अधिकारों के लिए उसे अंततः किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों के संघर्षों के साथ ही बावस्ता होना पड़ेगा।

यूक्रेन पर आक्रमण पर भाकपा (माले)–न्यू डेमोक्रेसी का वक्तव्य

(पृष्ठ 1 का शेष)

उन्हें आतंकवादी करार दिया और उनसे बात करने से भी इनकार कर दिया। ज़ेलेंस्की सरकार लोगों, खासकर मजदूर वर्ग की समस्याओं के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील रही है। यूक्रेन के लोगों को स्वतंत्र और संप्रभु होने का पूरा अधिकार है, एक ऐसा अधिकार जिसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियों विशेषकर रूस से खतरा है, लेकिन वर्तमान शासक इस अधिकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यूक्रेन के मजदूरों और लोगों को अपने हितों और आकांक्षाओं को साम्राज्यवादी ताकतों के बहकावे में नहीं आने देने के लिए आगे आना चाहिए। उन्हें रूसोफोबिया को दूर करते हुए, भाईचारे की भावना से पूर्वी यूक्रेन में विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

भारत सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच इस तीव्र संघर्ष के कारण असमंजस में फंस गयी है। मोदी ने उत्तर प्रदेश के लोगों से यूक्रेन की स्थिति को देखते हुए एक मजबूत नेता को मजबूत करने के लिए अपनी पार्टी को वोट देने का आह्वान किया, बिना यह बताए कि यह 'मजबूत' नेता करेगा क्या? सत्तारूढ़ आरएसएस–भाजपा सहित भारत के शासक वर्गों ने चीन का मुकाबला करने के लिए अमरीका और रूस दोनों की चापलूसी की है। वास्तव में, उनकी तथाकथित स्वतंत्रता उनके द्वारा विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच सौदेबाजी करने से जुड़ी हुई है। लेकिन वर्तमान युद्ध इसकी गुंजाइश को सीमित कर रहा है। भारत सरकार ने अब तक 'तटस्थता' बनाए रखी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस की आलोचना नहीं की है, जिसकी व्याख्या रूस के साथ–साथ पश्चिमी शक्तियों ने भी रूस की पक्षधरता के रूप में की है। यूक्रेन के राजदूत का बयान भी इसी तरह का है। भारत सरकार चीन पर नजर रख रही है और रूस को नाराज करने से बचना चाहती है। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बावजूद, हमारा दक्षिण एशियाई पड़ोसी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अमेरिका के विरोध की अनदेखी करते हुए रूस पहुंचे और राष्टपति पुतिन से मिलें हैं।

भाकपा (माले)–न्यू डेमोक्रेसी यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करती है। हम मानते हैं कि यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच बढ़ते संघर्ष और विभिन्न देशों के लोगों के अधिकारों और राष्ट्रीय आकांक्षाओं की कीमत पर उनके प्रभाव के क्षेत्रों को मजबूत करने तथा विस्तार करने से पैदा हुआ है। वर्तमान युद्ध ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि साम्राज्यवाद का मतलब युद्ध है। भाकपा (माले)–न्यू डेमोक्रेसी ने भारत के लोगों का आह्वान किया है कि वे यूक्रेन पर हमले को समाप्त करने और नाटो और अन्य साम्राज्यवादी सैन्य गठबंधनों को तुरंत समाप्त करने की मांगों पर कायक्रमों में भाग लें।

भाकपा (माले)–न्यू डेमाक्रेसी लोगों से साम्राज्यवाद और उसके प्रतिक्रियावादी सहयोगियों के खिलाफ संघर्ष को तेज करने का आह्वान करती है। हम लोगों का आह्वान करते हैं कि साम्राज्यवादी हुकूमतों से आज़ादी के लिए, साम्राज्यवाद और उनके सहयोगियों के दमन से मुक्ति के लिए और उनके तख्तापलट के लिए क्रांतिकारी आंदोलन को मज़बूत करते हुए लोगों के संघर्षों के साथ साम्राज्यवादी युद्ध के मंसूबों का सामना करें।

भाकपा (माले)–न्यू डेमोक्रेसी मांग करती है कि भारत सरकार यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा और भारत में उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाए।

(भाकपा (माले)-न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय कमेटी द्वारा 24 फरवरी, 2022 को जारी)

छात्र संगठनों का आवाह्न

भारतीय छात्रों को बिना देर किए वापस लाओ!
यूक्रेन पर रूसी आक्रमण बंद करो!
नाटो को भंग करो।
अमेरिकी और रूसी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद।

यूक्रेन में हजारों भारतीय छात्र भोजन, पानी, बिजली के बिना और लगातार गोलाबारी के बीच युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं। ये छात्र वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। उन्हें सरकार द्वारा यूक्रेन से खुद बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। अब तक सरकार के प्रयास यूक्रेन से बाहर आने के बाद उन्हें भारत वापस लाने तक सीमित हैं।

यूक्रेन पर रूसी हमले के परिणामस्वरूप भारतीय छात्र युद्ध में फंस गए हैं। बदले में रूस यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकना चाहता है। युद्ध रूस और अमेरिका के बीच यूरोप में प्रभाव को लेकर विवाद के कारण है जिसमें यूक्रेन के लोग पीड़ित हैं, अत्यधिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। दुनिया भर के लोग इस आक्रमण का विरोध कर रहे हैं और नाटो सहित साम्राज्यवादी सैन्य आक्रमण के उपकरणों को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं।

हम ''युद्ध बंद करो'' और ''साम्राज्यवादी आक्रमणों को समाप्त करो'' की मांग करते हैं। हम मानते हैं कि ये युद्ध अपने प्रभाव क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए हैं। इसलिए हमारा नारा है ''साम्राज्यवाद मुर्दाबाद!'' यह युद्ध साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए और आम लोगों के खिलाफ है।

यूक्रेन में भारत के मेडिकल छात्र जिस कठिन समय से मुजर रहे हैं उसने देश में सरकारी क्षेत्र में मेडिकल सीटों की कमी को उजागर किया है यद्यपि देश में डॉक्टरों की कमी है। दूसरी ओर भारत में निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस आसमान छू रही हैं कि उनमें पढ़ने के मुकाबले विदेश में पढ़ना सस्ता है। हम सरकारी मेडिकल कालेजों में सीटों में वृद्धि और प्राइवेट मेडिकन कालेजों में फीस के नियमन की मांग करते हैं।

केन्द्र सरकार ने इन छात्रों की दुर्दशा के प्रति आपराधिक उदासीनता प्रदर्शित की है। उन्हें जल्दी निकालने के लिए कदम उठाने के बजाय, एक केंद्रीय मंत्री ने भारत में सीट पाने में विफल रहने के लिए उनका मजाक उड़ाया! इस ठंड के मौसम में भाग रहे छात्र भारतीय अधिकारियों के अनुत्तरदायी रवैये और यूक्रेनी अधिकारियों के दुर्व्यवहार को झेल रहे हैं।

कोरोना की दूसरी लहर की ही तरह इस समय भी प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से राज्यों में चुनाव प्रचार में लीन थे। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के साथ अपनी उच्च प्रतिष्ठा और मित्रता का दावा करते हुए भी उन्होंने जरूरतमंद छात्रों की मदद नहीं की। सरकार के पास क्यों भारतीयों को निकालने के लिए रूस और यूक्रेन से संपर्क करने का समय नहीं था? पुनः दिखा कि भारतीय जीवन का कोई मूल्य नहीं है!

इन छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

हम सभी छात्रों से इस युद्ध को तत्काल समाप्त करने की मांग के विरोध में शामिल होने का आह्वान करते हैं। हम सरकार की उदासीनता की निंदा करते हैं और भारतीय छात्रों को तुरंत घर लाने की मांग करते हैं।

मांगें

– भारत सरकार तुरंत कार्यवाही करो!

– रूस और यूक्रेन हमारे छात्रों को सुरक्षित मार्ग दें!

– यूक्रेन पर रूसी हमले बंद करो!

– अमेरिकी शासकों, नाटो का विस्तार तुरंत रोको!

प्रोग्रेसिव एंड डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन (पीडीएसयू)

पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (पीएसयू)

लेबर कोड व ठेका मजदूर

(पृष्ठ 5 का शेष)

पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों के शोषण को और आसान बनाना है किंतु इस बात को छुपाने के लिये सरकार कहती है कि पुराने श्रम कानून खत्म किये जा रहे हैं क्योंकि 90 प्रतिशत मजदूरों के लिये वो लागू नहीं हो रहे थे। पर इन्हे लागू करने की जिम्मेदारी किस की थी – मजदूरों की या सरकार की ? और अगर ये लागू ही नहीं हो रहे थे तो वे व्यापार में बाधा कैसे थे ?

असली उद्देश्य नौकरी की सुरक्षा खत्म करना और पूंजीपतियों के लिये श्रम सस्ता करना है। उदाहरण के लिये पुराने कानून में जहां 100 से अधिक मजदूर हैं वहां मनमानी छंटनी, तालाबंदी व मिलबंदी करना मालिको के लिये मुश्किल था। अब इस सीमा को बढा दिया गया है और जहां 300 से कम मजदूर होगे वहां उन्हें नौकरी की यह सुरक्षा अब नहीं मिलेगी। इसी तरह से निर्धारित अवधि की नौकरी वाले नये प्रकार के मजदूर लिये जा रहे हैं जिनकी नौकरी निर्धारित 2 या 3 साल की अवधि के बाद अपने आप खत्म हो जायेगी और वे बेरोजगार हो जायेंगे।

पूंजीपति–परस्त, मजदूर–विरोधी केन्द्र सरकार द्वारा नये श्रम कोड लाकर मजदूरों के अधिकारों में कटौती करने की कोशिश का ये मतलब नहीं है कि मजदूरों के संघर्ष नहीं होंगे। बल्कि इतिहास में जैसे हमारे पूर्वज मजदूरों ने लडकर ये अधिकार जीते थे व श्रम कानून बनवाये थे उसी तरह से पुनः मजदूर संघर्ष उठेगा और अपने अधिकार हासिल करेगा। आइये, हम एकताबद्ध होकर 4 नये लेबर कोडों की वापसी की मांग के लिये संघर्ष करें।

(इण्डियन फैडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स (इफ्टू) की राष्ट्रीय कमेटी,द्वारा जारी)

बीरभूम (प. बंगाल)

अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा द्वारा विस्थापन का विरोध करने पर दमन की निंदा

– देउचा पंचमी कोयला खदान परियोजना के विरोधियों पर हमला करने से पुलिस और टीएमसी के गुंडों को रोकें।'

– गिरफ्तार सभी को रिहा करें, केस वापस लें।'

– बिना सामाजिक प्रभाव और पर्यावरण प्रभाव रिपोर्ट के पास हुआ प्रोजेक्ट, उसे रद्द करें।'

– अगर लोग जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं तो कोई मुआवजा उचित नहीं है।'

– विस्थापन रोकें।'

एआईकेएमएस की केंद्रीय कार्यकारिणी ने पश्चिम बंगाल पुलिस और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की निंदा की है, जिन्होंने अनुचित रूप से स्वीकृत देउचा–पंचमी (बीरभूम) कोयला खनन परियोजना का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं पर हमलों की एक श्रृंखला शुरू की है। वह 4300 से अधिक परिवारों को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है जिनमें लगभग आधे आदिवासी हैं, बाकी अल्पसंख्यक, दलित और ओबीसी हैं। पुलिस ने बुद्धिजीवियों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन पर अपराधिक मामले दर्ज किए हैं।

पिछले कुछ दिनों के दौरान देउचा पंचमी में, जहां 'घृणा की राजनीति के खिलाफ जन मंच' है, शांतिपूर्ण विरोध तथा जन जांच की एक श्रृंखला शुरू की गई है। इन पर 18 फरवरी को बीरभूम जिले के बोलपुर में पुलिस द्वारा हमला किया गया था। उनके माइक्रोफोन, कुर्सियों आदि को जब्त कर लिया गया था। अगले दिन तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने शांतिनिकेतन क्षेत्र में मार्च पर हमला किया, प्रतिभागियों को पीटा और परेशान किया। बाद में, 20 फरवरी को दीवानगंज गांव में ''बीरभूम जीवन जीविका प्रकृति बचाओ महासभा'' द्वारा एक विरोध जनसभा आयोजित करने के बाद, पुलिस ने रात में छापेमारी की और आदिवासी कार्यकर्ताओं सहित कुछ ग्रामीणों को गिरफ्तार किया।

ये हमले केवल इस जनविरोधी, प्रकृति विरोधी कोयला खनन परियोजना को लागू करने और ग्रामीणों को जबरन विस्थापित करने के लिए शुरू किए गए हैं। यह ममता बनर्जी सरकार के उस वायदे के खोखलेपन को पूरी तरह से उजागर करता है कि वह इस परियोजना के लिए जबरन जमीन नहीं लेगी।

लोग इस परियोजना का स्पष्ट विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि ममता बनर्जी को भी स्वीकार करना पड़ा कि 4300 में से केवल 1600 ने ही अपनी जमीन देने की सहमति दी है। प्रशासन लोगों को स्वीकृति पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहा है, जो पूरी तरह से अवैध है। कोई जनसुनवाई नहीं की गई है। परियोजना को ग्राम पंचायतों से कोई उचित अनुमोदन प्राप्त नहीं है। कोई उचित सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट नहीं है और इनके आधार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से कोई मंजूरी नहीं मिली है।

जबकि सरकार इस परियोजना को लागू करने के लिए दृढ़ है, इससे स्थानीय लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा और पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। बीरभूम जिले के देवचा–पंचमी–हरिनसिंह–दीवानगंज क्षेत्र में शुरू की जा रही इस परियोजना में अदाणी समूह ने गहरी दिलचस्पी दिखाई है।

एसकेएम ने बार–बार यह स्पष्ट किया है' कि खनन और उद्योग के लिए किसानों को अपने खेत, चारागाह, घर और कृषि आजीविका छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और ऐसी भूमि के अधिग्रहण में किसी भी उचित मुआवजे का कोई सवाल ही नहीं है।

एलएआरआर, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अनुसार, जहां लोग अपनी जमीन छोड़ने के इच्छुक नहीं हैं, वहां सरकार को सुनवाई, सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव और ऐसी परियोजनाओं के विकल्पों का आकलन करने की प्रक्रिया का पालन करना होगा।

(एआईकेएमएस के महासचिव तथा एसकेएम के सदस्य का. आशीष मित्तल द्वारा 24 फरवरी, 2022 को जारी प्रैस विज्ञप्ति)

• दमन की व्यापक निंदा हुई है। दमन के विरोध में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन व सभाएं की जा रही है।

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar

Monthly

Balmukand Khand,
Girinagar,
New Delhi-110019

Hindi Organ of
CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87

Book Post

To

; ;

; ;

; ;

; ;

; ;

; ;

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा स्टार ऑफसेट, टी-2151/8-ए-2, न्यू पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 से मुद्रित व बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-110019 से प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार